उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 431 -विनियम एवं का0वि0नी0 / पाकालि / 2018-2-विनियम / 11 (टी0सी0) दिनांक 21 अगस्त, 2018

विषय :- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले सेवकों *(शासन व अन्य प्रदेश के विद्युत निगमों एवं सार्वजनिक उपक्रमों जहां वितरण एवं पारेषण का कार्य संचालित किया जाता हो)* का संविलियन विनियमवली, 2011 में *प्रथम संशोधन।*

कार्यालय ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा-179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 03.08.2018 को सम्पन्न 140(40)वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले सेवकों (शासन व अन्य प्रदेश के विद्युत निगमों एवं सार्वजनिक उपक्रमों जहां वितरण एवं पारेषण का कार्य संचालित किया जाता हो) का संविलियन विनियमवली, 2011 में स्पष्टता एवं पारदर्शिता लाने हेतु अद्यतन प्रचलित व्यवस्थाओं (स्तम्भ-1) को स्तम्भ-2 की नवीन व्यवस्थाओं से प्रतिस्थापित करते हुए निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

संविलियन विनियमवली, 2011 में उपलब्ध मूल व्यवस्था	**प्रतिस्थापित की जाने वाली नवीन व्यवस्था**
स्तम्भ-1	*स्तम्भ-2*
7. **प्रतिनियुक्ति हेतु चयन** :- 'The Uttar Pradesh State Electricity Board Service of Engineers Regulation, 1970' एवं समय-समय पर यथा संशोधित विनियमावली के अनुसार निर्धारित अर्हता प्राप्त किसी उपक्रम या सरकारी सेवक को पदानुसार अधिकृत नियोक्ता द्वारा घोषित चयन समिति के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी।	7. **प्रतिनियुक्ति हेतु चयन** :- 'The Uttar Pradesh State Electricity Board Service of Engineers Regulation, 1970' एवं समय-समय पर यथा संशोधित विनियमावली के अनुसार निर्धारित अर्हता प्राप्त किसी उपक्रम या सरकारी सेवक को पदानुसार अधिकृत नियोक्ता द्वारा **विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से चयनित किया जायेगा।**
9. **संविलियन का प्रभाव** :- कोई सेवक, जिसको किसी उपक्रम या सरकार से संविलियन कारपोरेशन द्वारा स्वीकार किया गया हो, को उसके मूल विभाग में की गई सेवा अवधि के सापेक्ष वरिष्ठता कारपोरेशन में उतनी सेवा किये बैच के सहायक अभियन्ता संवर्ग में निम्नतम स्तर पर निर्धारित की जायेगी और सेवा सम्बन्धी वेतन एवं अन्य लाभ सहायक अभियन्ता के उस बैच के अनुसार ही अनुमन्य होंगे, जिस बैच के साथ उस सेवक की वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी।	9. **संविलियन का प्रभाव** :- कोई सेवक, जिसको किसी उपक्रम या सरकार से संविलियन कारपोरेशन द्वारा स्वीकार किया गया हो, को उसके मूल विभाग में **मौलिक नियुक्ति की तिथि से सहायक अभियन्ता के पद पर की गई सेवावधि के सापेक्ष** उसकी वरिष्ठता कारपोरेशन में उतनी सेवा किये बैच के सहायक अभियन्ता संवर्ग में निम्नतम स्तर पर निर्धारित की जायेगी और सेवा सम्बन्धी वेतन एवं अन्य लाभ सहायक अभियन्ता के उस बैच के अनुसार ही अनुमन्य होंगे, जिस बैच के साथ उस सेवक की वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी।

(क्रमशः....... 2)

2. उपरोक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू समझे जायेंगे एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले सेवकों *(शासन व अन्य प्रदेश के विद्युत निगमों एवं सार्वजनिक उपक्रमों जहां वितरण एवं पारेषण का कार्य संचालित किया जाता हो)* का संविलियन विनियमवली, 2011 के शेष प्राविधान यथावत् रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से।

संख्याः 431 –(1) विनियम/काविनी–29/पाकालि/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
4. अपर सचिव (प्रथम)/(द्वितीय)/(तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. संयुक्त सचिव (02), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 03.08.2018 को सम्पन्न 140(40) बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
7. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट, **www.uppcl.org** पर अपलोड करने हेतु।

(राकेश भट्ट)
अनु सचिव (विनियम)